भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3799

उत्तर देने की तारीख – 25.03.2026

एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अधिकरण

3799. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अंतर्गत उप-मंडल एवं जिला स्तर पर स्थापित अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए मामलों, दायर किए गए मामलों, निस्तारित मामलों और लंबित मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान निस्तारित कुल मामलों में से, अधिकरणों के आदेशों के अनुसार समय पर भत्ते प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भरण-पोषण अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों का गठन करने का अधिदेश दिया गया है। ये अधिकरण और अपीलीय अधिकरण वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर भरण-पोषण संबंधी आवेदन प्राप्त करते हैं और उनका निपटान करते हैं। ऐसे आवेदनों के आंकड़े/ब्यौरे इस विभाग में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।
